

अध्याय -II

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य वर्धित कर

अध्याय-II

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य वर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

सरकारी स्तर पर बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर कानून तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का संचालन प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है जिसको एक अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, एक संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आठ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 14 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा 69 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। उनको सम्बंधित कर कानूनों तथा नियमों का संचालन करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में मूल्य वर्धित कर/बिक्री कर निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों से सम्बंधित नौ इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 259 मामलों में ₹54.50 करोड़ से अंतर्विष्ट कर अवनिधारण तथा अन्य अनियमिताएं उद्घाटित हुई जो कि निम्नवत् श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसाकि तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि ₹ करोड़
1.	'बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	2.81
2.	कर अवनिधारण	34	16.86
3.	दोषपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों सी तथा एफ की स्वीकृति	28	1.19
4.	निवेश कर क्रेडिट का अनियमित/ गलत/ अधिक अनुमोदन	90	6.65
5.	कर की दर का गलत अनुप्रयोग	29	18.32
6	अन्य अनियमिताएं	77	8.67
योग		259	54.50

वर्ष के दौरान विभाग ने ₹5.71 करोड़ के अवनिधारण तथा अन्य कमियों के 120 मामले स्वीकार किये जो आरम्भिक वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गए थे। वर्ष 2013-14 के दौरान 77 मामलों में ₹70.98 लाख की राशि वसूल की गई।

₹2.81 करोड़ के धन मूल्य की 'बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया' पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹17.47 करोड़ से अंतर्विष्ट कुछ निर्दर्शी मामलों की चर्चा अनुवर्ती परिच्छेदों में की जाती है।

2.3 'बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य विशेषताएं

- अप्रैल 2008 से मार्च 2013 तक की अवधि में शेष बकाया ₹13.29 करोड़ से ₹235.33 करोड़ (52 प्रतिशत) बढ़े।

(परिच्छेद 2.3.5)

- बकाया में ₹10.98 करोड़ की अतिरिक्त मांग का लेखा नहीं दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप विभागीय पुस्तकों में बकाया का अल्प लेखांकन हुआ। इसके अतिरिक्त विस्तरित गये मामलों के निर्धारण न होने के कारण ₹12.92 करोड़ की बकाया राशि की कटौती न्यायोचित नहीं थी।

(परिच्छेद 2.3.6.1)

- कर की अतिरिक्त मांग के विलंबित भुगतान पर ₹38.33 लाख की राशि के ब्याज की 104 मामलों में न कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मांग की गई और न ही चूककर्त्ताओं द्वारा भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 2.3.11)

- ₹130.85 करोड़ के बकाया गैर प्राप्ति के लेखा पर बकाया की वसूली के लिए उपलब्ध उपायों के गैर समापन/ प्रतिभूति के अपवर्तन तथा जमानत की अनुचित संस्वीकृति/ व्यापारियों से जमानत की गैर वसूली के कारण वसूल नहीं किये जा सके थे।

(परिच्छेद 2.3.14.1 से 2.3.14.3)

2.3.1 परिचय

बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के संग्रहण के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग उत्तरदायी है। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा अन्य अधिनियमों के साथ-साथ नियम जो राज्य में 1 अप्रैल 2005 से उद्ग्रहण, बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर के निर्धारण तथा संग्रहण के अंतर्गत संचालन के लिए बनाए गए थे। हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 का अस्तित्व 31 मार्च 2005 तक था। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 तथा इसके अंतर्गत बनने वाले नियम अंतर्राज्य बिक्रियों के लिए प्रचालन में हैं। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी कर मांग सूचना में दिये गए निश्चित समय (न तो 15 दिन से कम और न ही 30 दिन से अधिक) में उसके देय कर को चुकाने के लिए उत्तरदायी है। कर मांग सूचना में वर्णित तिथि के भीतर करदाता की तरफ से कर चुकाने में विफल होने के मामले में जो राशि भुगतान नहीं की गई थी, की विभाग वसूली कर सकता है जैसे की वह भू-राजस्व का बकाया थी। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व, अधिनियम 1954 की धारा 28 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में सरकारी देयताओं को वसूल करने की शक्तियां विभाग को प्रत्यायोजित¹ की गई हैं।

¹ दिसम्बर 1990 तथा जनवरी 1993 के मध्य समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं की शक्ति प्रत्यायोजित की गई

सरकारी देयताओं की वसूली को प्रभावी करने के उद्देश्यों के लिए बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के कुछ प्रावधान परिशिष्ट-॥ में दिये गए हैं।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभागाध्यक्ष होता है जो विभिन्न राजकोषीय परिमाणों के पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकृत होता है। उसे दो अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, एक संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, छ: उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 14 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 69 आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा विभाग में अधिनियमों/ नियमों के संचालन में सहयोग दिया जाता है।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न सुनिश्चित करने के लिए संचालित की गई थी:

- एकत्रित बकाया की परिसीमा तथा निहित कारण;
- कि क्या बकाया की वसूली के लिए अधिनियम/ नियमों तथा निहित अनुदेशों के प्रावधानों का अनुसरण किया गया था;
- कि क्या बकाया की शीघ्र वसूली के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र अस्तित्व में है।

2.3.4 लेखापरीक्षा एवं पद्धति का विषय क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2008-09 से 2012-13 की अवधि को आवृत किया जो आबकारी एवं कराधान आयुक्त और 16 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से 8 क्षेत्रीय कार्यालयों² में उपलब्ध बिक्री कर बकाया/ मूल्य वर्धित कर से सम्बंधित अभिलेखों के आधार पर जुलाई 2013 से मार्च 2014 के मध्य संचालित की गई थी। इन इकाइयों का चयन अन्योन्यक्रिया आंकड़ा निष्कर्षण एवं संवीक्षा की यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीकी का प्रयोग कर किया गया था।

एक प्रारम्भिक सम्मेलन प्रधान सचिव, (आबकारी एवं कराधान), हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ दिसम्बर 2013 में हुआ था जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित करने के उद्देश्यों, विषय क्षेत्र तथा पद्धति की चर्चा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन विभाग तथा सरकार को सितम्बर 2014 में अग्रेषित किया गया था तथा प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) एवं आयुक्त के साथ सितम्बर 2014 में अंतिम सम्मेलन हुआ था। लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों के प्रति सरकार तथा विभाग के उत्तरों को तत्सम्बंधी परिच्छेदों में सम्मिलित किया गया है।

2.3.5 बकाया का प्रवाह/ संवीक्षा

प्रत्येक वर्ष के योग तथा बकाया की तुलनात्मक संवीक्षा तालिका 2.2 में प्रस्तुत की जाती है।

² सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बद्री, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, सिरमौर स्थित नाहन, ऊना तथा उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) उत्तरी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र

तालिका 2.2

वर्ष	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर प्राप्ति	बकाया का अथ शेष	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान वसूली योग्य बकाया	वर्ष के दौरान वसूल किया गया	वर्षात पर बकाया शेष	पांच वर्षों से अधिक के लिए शेष	कालम 6 से कालम 5 की प्रतिशतता	₹ करोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2008-09	1246.31	113.29	32.87	146.16	25.78	120.38	53.77	17.64	
2009-10	1487.40	120.38	172.44	292.82	201.32	91.52	उपलब्ध नहीं	68.75	
2010-11	2101.10	91.52	181.97	273.49	110.76	162.73	तंदैव	40.50	
2011-12	2476.78	162.73	197.18	359.91	148.53	211.38	61.34	41.27	
2012-13	2728.22	211.38	178.30	389.68	154.35	235.33	124.74	39.61	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

उपरोक्त तालिका मार्च 2013 तक वसूली के लिए लम्बित ₹235.33 करोड़ के बकाया दर्शाती है जो अप्रैल 2008 के बकाया की तुलना में लगभग दोगुना था। ₹124.74 करोड़ (53 प्रतिशत) का बकाया पांच वर्षों से अधिक के लिए शेष था। वर्ष के दौरान वसूली के लिए देय कुल बकाया के प्रति बकाया की वसूली प्रतिशतता 17.64 तथा 68.75 प्रतिशत के मध्य थी। जुलाई 2014 में विभाग द्वारा आपूरित सूचना (यद्यपि बकाया पर आयुवार सूचना जुलाई 2013 में मांगी गई थी) मार्च 2013 तक ₹222.07 करोड़ का बकाया दर्शाती है जो कि आरम्भ में वर्णित सूचना की तुलना में लगभग ₹13.26 करोड़ कम था।

विभाग ने इंगित (अगस्त 2014) किए जाने पर 31 मार्च 2013 तक ₹237.98 करोड़ के बकाया की सूचना दी जो कि प्रारम्भ में दिये गए आंकड़ों से भिन्न है। यह दर्शाता है कि विभाग ने बकाया के उचित अभिलेखों का अनुश्रवण नहीं किया था।

2.3.6 बकाया का अनुश्रवण

2.3.6.1 बकाया का अल्प लेखाकरण

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यापारी कर मांग अधिसूचना में निर्धारित, न तो 15 दिनों से कम और न ही 30 दिनों से अधिक, समय के भीतर उसके देय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। कर मांग सूचना में निर्धारित समय में भुगतान नहीं की गई मांग बकाया को बनाती है। यदि एक व्यापारी निर्धारण प्राधिकारी के आदेशों से असंतुष्ट महसूस करता है, वह अपीलीय प्राधिकारी के पास संशोधन के लिए याचिका दायर कर सकता है।

आठ नमूना जांच की गई इकाइयों में लेखापरीक्षा ने पाया कि मांग एवं संग्रहण पंजिका-सह-निपटान पंजिका में शेष राशि का 237 मामलों के सम्बन्ध में 2008-09 तथा 2012-13 के मध्य की अवधि से सम्बन्धित कुल बकाया में लेखा नहीं किया गया था। चूंकों के परिणामस्वरूप ₹10.98 करोड़ के बकाया को कम आंका गया जैसा कि परिशिष्ट-II में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, छः³ कार्यालयों के अभिलेखों नमूना जांच ने दर्शाया कि वर्ष 1990-91 से 2011-12 के लिए जनवरी 1995 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य 13 मामलों में निर्धारणों को अंतिम रूप दिया गया था तथा ₹12.92 करोड़।

³ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बद्री, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, ऊना तथा उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) दक्षिण क्षेत्र

की एक अतिरिक्त मांग निर्मित की गई थी। निर्धारण प्राधिकारी के आदेशों से असंतुष्ट व्यापारियों ने उस अपीलीय प्राधिकारी को अपील करना श्रेयस्कर समझा जिसने आदेशों की तिथि से तीन सप्ताह तथा तीन महीनों के मध्य एक समय सीमा के भीतर पुनर्निधारण के लिए अप्रैल 2008 तथा अगस्त 2013 के मध्य इन मामलों को अपीलीय प्राधिकारियों को प्रत्यावर्तित किया किन्तु इन मामलों को लेखापरीक्षा की तिथि तक सम्बंधित निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पुनर्निधारित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, वास्तविक सरकारी देयों के निर्धारण में हुए विलम्ब के कारण ₹18.00 लाख के बकाया को अवास्तविक रूप में दर्शाया गया तथा ₹12.74 करोड़ के बकाया की कटौती हुई थी।

इसे इंगित किये जाने पर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हमीरपुर ने बताया कि एक⁴ मामले का पुनर्निधारण किया गया था (जून 2014) तथा ₹2.33 लाख की अतिरिक्त मांग निर्मित की गई थी।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा सम्बंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को सभी मामलों के पुनर्निधारण के लिए निर्देश दिये जा चुके थे तथा वास्तविक सरकारी देयताओं को चूककर्ताओं से वसूल किया जाए।

छ: मामलों में ₹24.55 लाख की राशि के बकाया की कुल बकाया के आधिक्य में गणना की गई थी जो लेखापरीक्षा की तिथि तक गैर निरूपित रहे जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक (परिशिष्ट-III) बकाया की अतियुक्ति हुई।

यह दर्शाता है कि विभाग ने परिकलन तथा उच्च प्राधिकारियों को भेजे जाने वाले बकाया के प्रतिवेदन पर उचित नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया था।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को बकाया के उचित अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए अनिवार्य निर्देश दिये जाएंगे तथा तत्सम्बंधी विवरण विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

2.3.6.2 विभागाध्यक्ष स्तर पर डाटाबेस का अनुरक्षण न करना

सम्बंधित निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सृजित बकाया के उचित अनुश्रवण हेतु वर्ष के आरंभ में बकाया राशि, योग, वर्ष के दौरान वसूली और वर्ष के अंत में बकाया राशि के जिला-वार/ दल-वार विवरण को दर्शाने वाला एक अद्यतन केन्द्रीकृत डाटाबेस शीर्षस्थ स्तर पर अनुरक्षित रखना अपेक्षित है।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में बकाया के समेकित डाटाबेस के अनुरक्षण का ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया गया था।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि बकाया के सम्बंध में डाटाबेस का भविष्य में अनुरक्षण किया जाएगा।

⁴ मैसर्ज आदित्य स्टील इण्डस्ट्रीज, भूम्पल

2.3.6.3 मांग तथा संग्रहण पंजिका का अनुरक्षण न करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 42 में मूल्य वर्धित कर प्रपत्र -XVII में एक मांग तथा संग्रहण पंजिका के अनुरक्षण का प्रावधान है। मांग तथा संग्रहण पंजिका के अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने फरवरी 2005 में बकाया की फाइलों के अनुरक्षण के सम्बंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश जारी किये थे। अन्य बातों के साथ-साथ करदाता का पते सहित नाम, जमानत, जमानत की राशि, कर निर्धारण का वर्ष एवं तिथि, करदाता के स्थान पर उपस्थित होने वाले व्यक्ति का नाम, देय शेष राशि तथा वसूली का विवरण फाईल में अभिलिखित होना चाहिए।

चयनित आठ इकाइयों में अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि मांग तथा संग्रहण पंजिकाओं का निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षण नहीं किया गया था। बकाया फाईलें भी आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अनुदेशानुसार अनुरक्षित नहीं की गई थी। यहां तक कि बकाया का केन्द्रीकृत डाटाबेस क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया था जैसा कि परिशिष्ट-IV में दिया गया है।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि इस सम्बंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को अनिवार्य निर्देश दिये जाएंगे।

2.3.7 हस्तांतरित मामलों का लेखाकरण न होना

चयनित आठ इकाइयों में से चार इकाइयों में अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य) ने अनुश्रवण के सम्बंध में विभाग में समन्वय की कमी को दर्शाया जिसकी चर्चा निम्नवत् है:

2.3.7.1 उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पालमपुर (उड़नदस्ता) उत्तरी क्षेत्र में 1998-99 तथा 2006-07 के मध्य की अवधि से सम्बंधित छ: व्यापारियों के मामले में ₹3.79 लाख का बकाया वसूली के लिए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को हस्तांतरित किया गया था (अप्रैल 2011) तथा बकाया अभिलेख से अपवर्जित किया गया था। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने सर्किल कार्यालयों में काम के दबाव तथा कर्मचारियों की कमी के कारण बकाया/अतिरिक्त मांग की वसूली करने में अपनी अक्षमता दर्शायी (अगस्त 2011)। अतः बकाया उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अभिलेखों से अपवर्जित रहे तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त की पुस्तकों में लेखांकित भी नहीं किये गए। इसके अतिरिक्त, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त को सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अगस्त 2011 के उत्तर का पता नहीं था। परिणामस्वरूप, किसी भी कार्यालय ने बकाया की वसूली प्रक्रिया का अनुशीलन नहीं किया।

2.3.7.2 कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर में यह पाया गया (अगस्त 2013) कि ₹40 लाख के बकाया से अंतर्विष्ट छ: चूककर्त्ताओं के मामले बकाया भू-राजस्व के रूप में घोषित किये जाने के लिए पांचवटा कार्यालय से प्राप्त हुए (नवम्बर 2005 तथा एक मामले में तिथि बकाया भू-राजस्व पंजिका में नहीं दी गई है)। इन मामलों को नवम्बर 2005 तथा जनवरी 2007 के मध्य और सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यालय को वापिस लौटाया गया। आगे यह पाया गया कि लेखापरीक्षा की तिथि तक इन मामलों को उस कार्यालय को नहीं लौटाया था।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि मामले की जांच करने की आवश्यकता है। तथापि, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तथा तदनुसार परिणाम की सूचना दी जाएगी।

2.3.8 बकाया अभिलेखों को अद्यतन न करना

तीन इकाइयों में अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) ने निम्नवत् अनियमिताएं दर्शाईः

- i. कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला में लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2013) कि पांच मामलों में ₹2.00 लाख का बकाया, बकाया पंजिका में शेष दर्शाया गया था। नमूना जांच में आगे पाया गया कि ये कर निर्धारण/ अतिरिक्त मांग निपटान पंजिका⁵ में दर्ज नहीं किये गये थे।
- ii. कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला में बकाया पंजिका के साथ मांग तथा संग्रहण पंजिका-सह निपटान पंजिका के अनुसार शेष मांगों की नमूना जांच में पाया गया कि 165 मामलों में ₹50.00 लाख के बकाया निपटान पंजिका/ बकाया पंजिका के अनुसार शेष थे जिनका लेखाकरण नहीं किया गया था। इसे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2013) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने बताया कि ₹45.00 लाख की राशि विभिन्न चालानों द्वारा वसूल की जा चुकी थी किन्तु बकाया पंजिका/ अभिलेखों में दर्ज नहीं की गई थी।
- iii. इसी तरह सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर स्थित नाहन तथा उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़नदस्ता) पालमपुर में, यद्यपि, ₹7.50 लाख की राशि दिसम्बर 2009 तथा जनवरी 2013 के मध्य नौ व्यापारियों से वसूल की गई थी, लेकिन इसे बकाया पंजिका में लेखांकित नहीं किया गया था।

यह दर्शाता है कि बकाया से सम्बंधित अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया गया था।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि सम्बंधित इकाइयों को विभागाध्यक्ष की सूचना के अंतर्गत बकाया अभिलेखों को अद्यतन करने के निर्देश दिये जाएंगे।

2.3.9 बकाया के अभिलेखों का अनुश्रवण न करना

आठ चयनित इकाइयों में लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की नमूना जांच में विसंगतिया पाई (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) जिसकी चर्चा निम्नवत् हैः

2.3.9.1 बकाया विवरणियों का अनुश्रवण न करना

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अप्रेषित किये गए बकाया की मासिक विवरणी द्वारा विभागाध्यक्ष बकाया का अनुश्रवण कर रहा है।

⁵ मांग तथा संग्रहण पंजिका के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यह एक सामान्य शब्द है।

आठ चयनित इकाइयों में अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) में पाया गया कि:

- (i) दो⁶ क्षेत्रीय कार्यालयों में मासिक बकाया विवरणी तैयार नहीं की गई थी।
- (ii) कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला में अप्रैल 2008 के मास के लिए बकाया विवरणी की नमूना जांच में पाया गया (दिसम्बर 2013) कि ₹5.24 करोड़ का बकाया चूककर्त्ताओं से वसूली के रूप में विभागाध्यक्ष को प्रतिवेदित करना था। तथापि, विभागाध्यक्ष (सितम्बर 2013) तथा लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2013) को ₹4.50 करोड़ (₹74.00 लाख कम) के रूप में सूचना दी गई थी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने दिनांक 25 जून 2014 को दिये अपने उत्तर में ₹74.00 लाख कम बकाया प्रतिवेदन के कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये थे।
- (iii) कार्यालय उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़नदस्ता), परवाणु स्थित दक्षिण क्षेत्र में लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2013) कि जून 2008 तक बकाया का अंतर्शेष ₹2,71,66,299 था जिसका ₹8700 उसी मास के दौरान वसूल किया दर्शाया गया था। अंतर्शेष की गणना ₹2,71,57,599 के बजाए ₹1,72,07,476 के रूप में की गई थी। विभाग द्वारा गलती को निरूपित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹99.50 लाख के बकाया को कम दर्शाया गया था।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि मामले की जांच की जाएगी तथा चूककर्त्ता इकाइयों के विरुद्ध तदनुसार उचित कर्तव्याई आरम्भ की जाएगी।

2.3.10 बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल किये जाने वाले मामलों की घोषणा न करना

बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के आधार पर मांगे, जो सूचना में निर्धारित समय के भीतर वसूल किये बिना रही, बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूलने योग्य बनेंगी। विभागीय प्राधिकारियों को चूककर्त्ताओं से सरकारी देयों की शीघ्र वसूली सूनिश्चित करने के लिए 1990 तथा 1993 के दौरान हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत सहायक समाहर्ता/ समाहर्ता की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। बकाया भू-राजस्व के रूप में बकाया की वसूली के लिए अधिनियमों में विभाग द्वारा समय सीमा की न तो घोषणा की गई और न ही इसे निश्चित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पांच कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁷ के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी मामला अनुशीलन के लिए घोषित नहीं किया गया था, यद्यपि चूककर्त्ताओं की संख्या 2008-09 में 796 से 2013-14 में 1069 तक बढ़ गई थी। विगत पांच वर्षों की अवधि के दौरान वसूली योग्य सरकारी देयताएं ₹14.73 करोड़ से ₹52.81 करोड़ बढ़ गईं। अतः सरकारी देयताओं को वसूलने के लिए सम्बंधित कर्मचारियों ने प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था जिससे प्रत्यायोजन के अभिप्रेत परिणाम प्राप्त नहीं हो सके थे।

⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊन (04/2008 से 03/2013 की अवधि) तथा उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, उड़नदस्ता, दक्षिणी क्षेत्र (04/2011 से 03/2013 की अवधि)

⁷ बिलासपुर, हमीरपुर, ऊन, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) दक्षिणी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र

2.3.10.1 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत बकाया की वसूली की घोषणा/आरम्भ करने में विलम्ब

बकाया की वसूली के लिए हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत चूककर्त्ताओं के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई फलदायी साबित होगी। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 74 में प्रावधान है कि बकाया भू-राजस्व की वसूली अधिनियम में प्रावधान की गई किसी एक अथवा अधिक प्रक्रियाओं द्वारा की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁸ के अभिलेखों की नमूना जांच की (अगस्त 2013 तथा मार्च 2014) तथा पाया कि 31 व्यापारियों के विरुद्ध ₹36.02 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित करते हुए वर्ष 1977-78 से 2010-11 के लिए कर निर्धारण को अंतिम रूप दिया (मार्च 1991 तथा अप्रैल 2012)। अतिरिक्त मांग की वसूली करने में विफल रहने पर समाहर्ता-सह-सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने मार्च 1993 तथा अप्रैल 2013 के मध्य तकरीबन सभी मामलों में कर निर्धारण के बाद 1 से 14 वर्षों के मध्य के विलम्ब सहित बकाया भू-राजस्व के रूप में बकाया के वसूल किये जाने की घोषणा की थी तथा एक मामले में विलम्ब 20 वर्ष का था।

कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरमौर में यह देखा गया था कि 15 चूककर्त्ताओं के मामले में ₹3.68 करोड़ की अतिरिक्त मांग अगस्त 2010 तथा सितम्बर 2011 के मध्य बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूलने के लिए घोषित की गई थी तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम में किये गए प्रावधान के अंतर्गत चूककर्त्ताओं से देयताओं की वसूली के लिए आगे कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी तथा देयताएं वसूल नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया कि वैधानिक जटिलाओं के कारण कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की जा सकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व नियमावली के अंतर्गत चूककर्त्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी यद्यपि पर्याप्त समय बीत चुका था।

2.3.10.2 भू-राजस्व मामलों के बकाया की पंजिका का अनुचित अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली कार्रवाइयों के संचालन के उद्देश्य के लिए चूककर्त्ता की विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं एक पंजिका जिसे भू-राजस्व मामलों की पंजिका कहा जाता है, में अनुरक्षित किया जाता है।

सिरमौर तथा ऊना के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जांच की गई (सितम्बर 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य) तथा पाया गया कि विभिन्न विवरण जैसे कि जमानत देने वालों के नाम, प्रतिभूति की राशि, अचल सम्पत्ति, बकाया के मामलों की प्रास्थिति, चूककर्त्ताओं से विभिन्न गणनाओं जैसे कर, शास्ति एवं ब्याज पर वसूली योग्य राशि बकाया भू-राजस्व पंजिका में दर्ज नहीं की गई थी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय ऊना में वर्ष 1991-92 से 2006-07 के लिए बकाया भू-राजस्व पंजिका के अनुसार 24

⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बद्री तथा सिरमौर

चूककर्त्ताओं के मामले में ₹5.18 करोड़ का बकाया शेष था जिसकी 31 मार्च 2013 तक बकाया के रूप में गणना नहीं की गई थी। ये बकाया फाइलें लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि विभागाध्यक्ष की सूचना के अधीन बकाया अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए सम्बंधित इकाइयों को निर्देश दिये जाएंगे।

2.3.10.3 योग न करने/ब्याज के अल्प योग/त्रुटिपूर्ण परिकलन के कारण बकाया भू-राजस्व की अल्पकालिक घोषणा

तीन⁹ कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई 2013 तथा दिसम्बर 2013) कि 1977-78 से 2006-07 की अवधि के लिए मार्च 1991 तथा जून 2011 के मध्य निर्धारित ₹22.07 करोड़ का कर तथा शास्ति का भुगतान 24 चूककर्त्ताओं द्वारा नहीं किया गया था। मार्च 2007 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य समाहर्ता-सह-सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने इन बकायों को बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूलने की घोषणा कर निर्धारण की तिथि के 2 से 245 महीनों के मध्य के विलम्ब सहित की थी। विभाग ने ब्याज राशि (₹1.97 करोड़) अथवा परिकलित त्रुटि (₹0.49 करोड़) को अपवर्जित करते हुए ₹24.04 करोड़ की वास्तविक घोषणा योग्य राशि के प्रति बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूली के लिए ₹21.58 करोड़ की राशि घोषित की थी। इसके परिणामस्वरूप बकाया भू-राजस्व मामलों में ₹2.46 करोड़ के सरकारी राजस्व की अल्पकालिक घोषणा की गई।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को सभी मामलों की पुनः जांच तथा वास्तविक राशि को बकाया भू-राजस्व पंजिका में परिकलित करने और चूककर्त्ताओं से वसूली को प्रभावित करने के निर्देश दिये गए थे।

2.3.10.4 उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के मध्य समन्वय की कमी

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) दक्षिणी क्षेत्र में ₹9.48 लाख का बकाया कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए मैसर्ज गणेश राइस एण्ड जनरल मिल्स, काला अम्ब, सिरमौर से वसूलने योग्य था (मार्च 2013) जिसे उड़न दस्ते द्वारा अगस्त तथा अक्टूबर 2002 के मध्य निरूपित करने के दौरान उद्ग्रहीत किया गया था जिसके प्रति व्यापारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पेशल लीब पेटिशन दाखिल की थी। न्यायालय द्वारा स्पेशल लीब पेटिशन को जनवरी 2011 में रद्द कर दिया गया था किन्तु उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त को इस सम्बंध में जानकारी नहीं थी। आगे यह पाया गया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर ने, तथापि, वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 से सम्बंधित ₹10.01 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया तथा बकाया भू-राजस्व के रूप में घोषित किया (अगस्त 2010) किन्तु उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) के कार्यालय से सम्बंधित मांग बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूली के लिए अपवर्जित रही। अतः उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा सहायक आबकारी एवं कराधान

⁹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त कांगड़ा, बी.बी.एन.-बद्री तथा सिरमौर

आयुक्त के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप ₹9.48 लाख का बकाया, बकाया भू-राजस्व मामले में शामिल नहीं हो पाया।

2.3.10.5 कुर्क की गई सम्पत्ति का निपटान न किया जाना

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 81 में बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल की जाने वाली सरकारी देयताओं की वसूली के लिए परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा धारण करने तथा कुर्कों का प्रावधान है।

छ: कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁰ के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) ने दर्शाया कि 20 चूककर्ता करदाताओं ने 1984-85 से 2008-09 वर्षों के लिए निर्धारित (अगस्त 1990 तथा मई 2012) ₹27.98 करोड़ की मांग का भुगतान नहीं किया। मार्च 2002 तथा जुलाई 2013 के मध्य सम्पत्ति कुर्क और जून 1995 तथा जून 2013 के मध्य बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल किये जाने के लिए इन बकायों की घोषणा की गई थी, किन्तु सरकारी देयताओं की वसूलियों को प्रभावित करने के लिए कुर्क सम्पत्ति के विक्रय हेतु कोई प्रयास नहीं किये गए थे।

2.3.10.6 राजस्व वसूली अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया की पहल न करना

राजस्व वसूली अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि यदि एक बकाया भू-राजस्व, एक चूककर्ता द्वारा उस एक जिले के अतिरिक्त जिसमें बकाया प्रोद्भूत अथवा राशि भुगतान योग्य है, में सम्पत्ति रखते अथवा होते हुए भुगतान योग्य है, समाहर्ता उस जिले के समाहर्ता को एक प्रमाण पत्र जिसमें चूककर्ता का नाम तथा ऐसे अन्य विवरण जो पहचान तथा उसके द्वारा भुगतान योग्य राशि एवं कारण जिसके लिए यह देय है के लिए अनिवार्य हो बताते हुए भेजेगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014) में पाया गया था कि 12 चूककर्ताओं जिनकी सम्पत्तियां अन्य जिलों के राजस्व अधिकार क्षेत्र में अवस्थित थीं कर निर्धारण वर्ष 1987-88 से 2008-09 से सम्बंधित कर निर्धारित (जून 1996 से मार्च 2012) ₹6.60 करोड़ की अतिरिक्त मांग का भुगतान करने में विफल रहे थे। यह राशि अगस्त 2010 तथा सितम्बर 2011 के मध्य बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूली के लिए घोषित की गई थी। राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए किसी भी तरह का मामला जिला समाहर्ता को अप्रेषित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व वसूली अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया की कोई पहल नहीं की गई थी।

अतः अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की पूर्णता के लिए समय सीमा के निर्धारित न किये जाने के परिणामस्वरूप चूककर्ताओं के विरुद्ध वसूली प्रक्रिया शुरू करने तथा सरकारी देयताओं के निर्धारण में विलम्ब हुआ।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि मामले की जांच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सम्बंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कुर्क सम्पत्ति की बिक्री के लिए कदम उठाने के निर्देश दिये थे।

¹⁰ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बद्री: पांच मामले, बिलासपुर: चार मामले, हमीरपुर: दो मामले, कांगड़ा: दो मामले, सिरमौर स्थित नाहन: तीन मामले तथा ऊना: चार मामले

2.3.11 अतिरिक्त मांग के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 17 क (2) तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19 (2) में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी से देय कर अथवा शास्ति की राशि मांग की सूचना में निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती अथवा यदि कोई अवधि निर्धारित नहीं है तो तीस दिन के भीतर व्यापारी सूचना में निर्धारित अवधि अथवा तीस दिन की अवधि समाप्त हो जाती है, उस पर ऐसी राशि पर निर्धारित तिथि से तुरंत बाद वाली तिथि को प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर पर एक माह के लिए तथा उसके बाद जब तक चूक जारी रहती है डेढ़ प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

आठ चयनित इकाइयों में से सात¹¹ इकाइयों में अनुरक्षित अभिलेखों की अगस्त 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य हुई नमूना जांच ने दर्शाया कि जुलाई 2008 तथा मार्च 2013 के मध्य वर्ष 1998-99 से 2012-13 के लिए उगाहे 104 व्यापारियों के सम्बंध में ₹2.94 करोड़ की अतिरिक्त मांग सामान्य तीस दिन की अवधि से ऊपर 1 से 46 महीनों के मध्य के विलम्ब सहित व्यापारियों द्वारा भुगतान की जानी थी। देरी से किए गये भुगतान पर ₹2.94 करोड़ के बकाया पर ₹38.33 लाख की राशि का ब्याज भी वसूली योग्य था जिसका न तो कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण किया गया और न ही चूककर्त्ताओं द्वारा जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप बकाया के विलम्बित भुगतान पर प्रोद्भूत लगभग ₹38.33 लाख के ब्याज की वसूली नहीं हुई तथा इसी स्तर तक सरकारी राजस्व का अल्प कर अवनिर्धारण हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹² ने बताया कि ₹14.76 लाख की राशि पांच व्यापारियों से वसूल (अक्टूबर 2013 तथा अप्रैल 2014 के मध्य) तथा निर्धारित की गई थी।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को सभी मामलों के ऐसे चूककर्त्ताओं को खोजने तथा बकाया एवं ब्याज की वसूली के निर्देश दिए थे।

2.3.12 अपीलीय मामलों को संरक्षण न देना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 45 में प्रावधान है कि एक व्यापारी यदि निर्धारण प्राधिकारी के आदेशों से असंतुष्ट है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करेगा। विभाग ऐसे मामलों को संरक्षण देने के लिए बाध्य है।

पंखों एवं इनके कलपूर्जों का विनिर्माण एवं बिक्री कर की सामान्य दर पर अर्थात् 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है।

सिरमौर स्थित नाहन के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई से सितम्बर 2014) ने दर्शाया कि पंखों के कलपूर्जों के विनिर्माण एवं बिक्री से जुड़े

¹¹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन. – बद्री, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर स्थित नाहन, ऊना तथा उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़नदस्ता) दक्षिणी क्षेत्र

¹² बिलासपुर एक व्यापारी ₹13.88 लाख तथा सिरमौर स्थित नाहन चार व्यापारी ₹0.88 लाख

दो व्यापारियों¹³ का कर निर्धारण किया गया था (जून 2011) तथा वर्ष 2005-06 के लिए ₹15 लाख की अतिरिक्त मांग उठाई गई थी। निर्धारण प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर व्यापारियों ने कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त-सह अपीलीय प्राधिकारी, दक्षिणी क्षेत्र (जुलाई 2011) को अपील दायर की थी।

विभाग को संरक्षण प्रदान करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई भी कार्यालय से उपस्थित नहीं हुआ। निर्धारण प्राधिकारी ने बिना किन्हीं विशेष आदेशों के निर्धारण प्राधिकारी के पास मामला वापिस भेज दिया (अक्टूबर 2011)। मामलों का 12.50 प्रतिशत के बजाए 4 प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहण के बाद पुनर्निर्धारण किया गया था (सितम्बर 2011) तथा पुस्तकों में बकाया ₹15.00 लाख की सीमा तक कम कर दिया गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारी का एक इसी तरह के मामले¹⁴ में आदेश का अनुसूची-क के अंतर्गत आवृत न होने वाली मदों वाले गीजर कलपूर्जों के निर्माण एवं बिक्री पर चार प्रतिशत की बजाए 12.50 प्रतिशत की दर पर निर्धारण किया था जिनका अपीलीय प्राधिकरी द्वारा वर्धन किया गया था (नवम्बर 2013)।

अतः अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मामलों को संरक्षण देने में विफल रहने के परिणामस्वरूप बकाया की कटौती के साथ-साथ ₹27.44 लाख की राजस्व हानि तथा वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के कर निर्धारण के प्रति ₹40.46 लाख का ब्याज जिनका निर्धारण आगे 12.50 प्रतिशत की बजाए चार प्रतिशत की दर पर किया गया था का उद्ग्रहण नहीं किया गया था। देय कर को समय पर न जमा करवाना भी शास्ति उद्ग्रहण योग्य था।

2.3.12.1 हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 23 जुलाई 1999 की अधिसूचना द्वारा कनवरटीड टिम्बर सहित टिम्बर को कच्चेमाल से अपवर्जित किया था।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ऊना में लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2013 से फरवरी 2014) कि एक वन्य संविदाकार¹⁵ ने खैरबुड की बिक्री की थी तथा कच्चे माल के रूप में निर्माणकारी इकाई को विक्रय के प्रति कर की एक प्रतिशत रियायती दर के दावे के लिए प्रपत्र एस टी XXV-C प्रस्तुत किया था। निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के लिए मामले का पुनर्निर्धारण किया (जनवरी 2012) तथा ₹14.95 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया। निर्धारण प्राधिकारी से असंतुष्ट व्यापारी ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को संशोधन के लिए अपील दायर की थी (मार्च 2012) जिसका निर्णय मई 2013 में लिया गया था। व्यापारी का मामला निर्धारण प्राधिकारी को यह कहते हुये प्रत्यार्पित किया था कि कथा के निर्माण के लिए खैरबुड कच्चा माल था तथा अपीलकर्ता का कच्चेमाल के रूप में इसकी बिक्री कथा निर्माण इकाई को करने का दावा सही था। जहां सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर में लेखापरीक्षा ने इसी तरह के एक मामले¹⁶ में पाया कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने खैरबुड की बिक्री पर कर की रियायती दर के लिए अनुमोदन नहीं दिया था (जुलाई 2007)। इसके परिणामस्वरूप ₹14.95 लाख के बकाया की वसूली नहीं हुई।

¹³ मैसर्ज टी०एल०टी० इलेक्ट्रोकल तथा श्री प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज मोगीनंद, काला अम्ब, सिरमौर

¹⁴ मैसर्ज आर०डी०एस० इन्टरप्राइजिज, काला अम्ब, सिरमौर

¹⁵ मैसर्ज जयदेव, वन संविदाकार, ऊना: 1999-2000 ₹0.92 लाख, 2000-01 ₹2.00 लाख तथा 2001-02 ₹12.03 लाख

¹⁶ मैसर्ज सुभाष कुमार, वन संविदाकार, बिलासपुर

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि मामले की जांच किये जाने की आवश्यकता थी।

2.3.13 स्वीकृत दावे का गैर अनुशीलन

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, उना द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि एक व्यापारी¹⁷ के वर्ष 1992-93 से 1997-98 के लिए कर निर्धारण जनवरी 1998 तथा फरवरी 2001 के मध्य किये गए थे तथा ₹1.65 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। इन आदेशों से असंतुष्ट व्यापारी ने अप्रैल 2007 में अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की थी। अपील पर निर्णय लिया गया था (जून 2007) तथा निर्धारण प्राधिकारी के पास नवीन आदेशों हेतु प्रत्यार्पित किया किन्तु व्यापारी पुनः कर निर्धारण के लिए उपस्थित नहीं हुआ। मामले का पुनः (जुलाई 2009) कर निर्धारण ₹4.16 करोड़ की अतिरिक्त मांग सहित किया गया था। इसी दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय से (अप्रैल 2005) सम्बद्ध विभागीय परिसमाप्तक ने ₹28.00 लाख के लिए दावा स्वीकार किया था। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त को सम्बंधित अधिकारी के साथ मामला उठाने के लिए लिखा (दिसम्बर 2012 तथा अक्टूबर 2013)। आबकारी एवं कराधान आयुक्त से स्वीकृत दावे की प्रास्थिति से सम्बंधित सूचना मांगे जाने पर यह सूचित किया गया (अगस्त 2014) कि सूचना संग्रहीत की जा रही थी।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त को सम्बंधित अधिकारियों के साथ मामला उठाने तथा शेष राशि की वसूली के लिए अनुदेश जारी किये गये थे।

2.3.14 प्रतिभूति/ जमानत से सम्बंधित प्रावधानों की मंत्रणा न करना

2.3.14.1 व्यापारियों से प्रतिभूति/जमानत प्राप्त न करना

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 11 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि आयुक्त अथवा उसे सहयोग देने के लिये नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रतिभूति प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर नियमावली के नियम 5 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 4 में अपेक्षित है कि निर्धारण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए व्यापारी को व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ दो ऋण शोधनक्षम जमानतें प्रस्तुत करेगा। यह कुछ हद तक सरकारी राजस्व के भुगतान में चूक के मामले में संरक्षण प्रदान करता है। एक निश्चित मूल्य के लिए जमानती बंदपत्र प्रस्तुत एवं स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि एक व्यापारी के चूककर्ता हो जाने के मामले में एक निश्चित राशि की वसूली की जा सके।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य पांच¹⁸ कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि 84 करदाताओं से वर्ष 1978-79 से 2011-12 के लिए ₹36.55 करोड़ की अतिरिक्त मांग जो अगस्त 1990 तथा मार्च 2013 के

¹⁷ मैसर्ज विलेज पेपर मिल्स प्राइलि, मैहतपुर

¹⁸ बी.बी.एन. - बददी 17 मामले: ₹18.50 करोड़, बिलासपुर-पांच मामले: ₹0.23 करोड़, हमीरपुर-17 मामले: ₹0.82 करोड़, कांगड़ा-21 मामले: ₹1.42 करोड़ तथा ऊना-24 मामले: ₹15.58 करोड़

मध्य निर्धारित की गई थी, वसूली योग्य थी। प्रतिभूति जैसा उपरोक्त रूप में प्रावधान है, प्राप्त नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, तीन कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁹ में यद्यपि नौ मामलों में वर्ष 1997–98 से 2010–11 के लिए अप्रैल 2006 तथा जून 2012 के मध्य ₹2.30 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी किन्तु उपरोक्त प्रावधान के अनुसार कोई प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी।

2.3.14.2 जमानती बंद पत्र की अनुचित संस्वीकृति

कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला में चार व्यापारियों के कर वर्ष 1999–2000 से 2009–10 हेतु कर निर्धारणों को मार्च 2006 तथा जून 2011 के मध्य अंतिम रूप दिया गया था तथा ₹15.88 लाख की एक अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। व्यापारियों ने किसी भी राशि अथवा नगण्य राशियों के लिए आठ जमानतें प्रस्तुत की थी। क्योंकि इन जमानती बंद पत्रों में किसी निश्चित मूल्य का जिक्र नहीं था, जमानतें किसी काम की नहीं थी।

दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁰ में दो करदाताओं ने वर्ष 1987–88 से 2003–04 के लिए जून 1996 तथा मार्च 2008 के मध्य निर्धारित ₹12.72 लाख की समेकित अतिरिक्त मांगों का भुगतान नहीं किया गया था। व्यापारियों द्वारा ₹1.25 लाख की प्रतिभूतियां प्रस्तुत की गई थी किन्तु सम्बंधित आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों द्वारा सम्पर्क करने पर करदाताओं ने जमानती बंदपत्रों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था।

2.3.14.3 प्रतिभूति का अपवर्तन न करना/ जमानती से वसूली न करना

(i) लेखापरीक्षा ने जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य पांच कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²¹ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि कर निर्धारण वर्ष 1984–85 से 2013–14 से सम्बंधित ₹24.32 करोड़ की अतिरिक्त मांग जो जून 2000 तथा मई 2013 के मध्य निर्धारित की गई थी, 36 करदाताओं से वसूली योग्य थी। इन करदाताओं ने ₹9.57 लाख (मूलधन) की प्रतिभूति प्रस्तुत की थी किन्तु इसका विभाग द्वारा अपवर्तन नहीं किया गया था।

(ii) कार्यालय उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़नदस्ता), दक्षिणी क्षेत्र, में एक व्यापारी²² के प्रति ₹5.62 लाख का बकाया (जो अक्टूबर 2006 में निरूपण के दौरान उड़न दस्ते द्वारा उद्ग्रहीत किया गया था) शेष था। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़नदस्ता) ने (मई 2009) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरमौर को व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति के अपवर्तन के लिए लिखा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने करदाता के प्रति फरवरी 2013 में उसके द्वारा सृजित ₹3.46 लाख की अतिरिक्त वसूली के लिए प्रतिभूति अपवर्तित की थी (मार्च 2013) तथा वसूली प्रमाण पत्र निरस्त किया (फरवरी 2013)।

¹⁹ बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला तथा सिरमौर स्थित नाहन

²⁰ कांगड़ा स्थित धर्मशाला: ₹1.00 लाख तथा सिरमौर स्थित नाहन: ₹0.25 लाख

²¹ बी.बी.एन.-बद्दी सात मामले: ₹20.39 करोड़, बिलासपुर-सात मामले: ₹1.25 करोड़, हमीरपुर-एक मामला: ₹0.16 करोड़, सिरमौर स्थित नाहन-14 मामले: ₹1.99 करोड़ तथा ऊना-6 मामले: ₹0.53 करोड़

²² मैसर्ज लिंटेक लाइटिंग कम्पनी, काला अम्ब

अतः प्रतिभूति के प्रति कम्पनी का ₹5.62 लाख का बकाया समायोजित नहीं किया जा सका। इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2013) उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया कि मामला स्टाफ की कमी के कारण चालू नहीं रखा जा सका था तथा अब सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) छ: कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²³ में 119 करदाताओं के प्रति कर निर्धारण वर्ष 1984-85 से 2012-13 के लिये सूजित (मार्च 1991 तथा मई 2013 के मध्य) ₹67.34 करोड़ की अतिरिक्त मांगे वसूली योग्य थी। करदाताओं ने ₹1.52 करोड़ तक की समेकित राशि के लिए 229 जमानतें प्रस्तुत की थीं किन्तु इसके प्रति फरवरी 2001 तथा मार्च 2013 के मध्य ₹2.10 लाख की एक मात्र राशि सात जमानतियों²⁴ से वसूल की जा सकती थी।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि मामले की जांच की जाएगी तथा तदनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.3.15 वैध उत्तराधिकारियों से देयताओं की अवसूली

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 28-क तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम 42 में वैधानिक उत्तराधिकारियों द्वारा उसकी मृत्यु उपरांत उस के वैधानिक प्रतिनिधि अथवा किसी व्यक्ति द्वारा कर भुगतान करने के दायित्व का प्रावधान है।

आठ कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁵ में यह पाया गया था कि दो व्यापारियों ने कर निर्धारण वर्ष 1977-78 से 2004-05 के लिए मार्च 1991 तथा जनवरी 2008 के मध्य निर्धारित ₹11.22 लाख की मांग का भुगतान नहीं किया था। विभाग वैध उत्तराधिकारियों से मांग वसूल नहीं कर सका क्योंकि व्यापारियों की मृत्यु हो चुकी थी।

2.3.16 समय सीमा का निर्धारण न किया जाना

आबकारी एवं कराधान विभाग के अंतर्गत बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर पर लागू कुछ प्रावधान अधिनियम तथा नियम निम्नवत् हैं:

- हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 (4) तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 21(5) में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी एक अवधि के सम्बंध में विवरण प्रस्तुत करता है और जारी सूचना की शर्तों की अनुपालना करने में विफल हो जाता है तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद पांच वर्षों के भीतर व्यापारी से देय कर की राशि स्वविवेक से निर्धारित करेगा।
- हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर अधिनियमों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में सरकारी देयताओं जैसे कि वैध उत्तराधिकारियों से वसूली, प्रतिभूति इत्यादि के

²³ बी.बी.एन.-बद्री, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमोर रिथ्त नाहन तथा ऊना

²⁴ सिरमोर रिथ्त नाहन-5 मामले ₹1.90 लाख तथा ऊना- 2 मामले ₹0.20 लाख

²⁵ कांगड़ा रिथ्त धर्मशाला: मैसर्ज केंको इन्डस्ट्रीज धर्मशाला: ₹5.18 लाख सिरमोर रिथ्त नाहन मैसर्ज संता सिंह भुपिन्दर सिंह, बद्री नगर : ₹6.04 लाख

अपवर्तन द्वारा वित्तीय संस्थान के माध्यम से करदाताओं की जमानतों की वसूली के विभिन्न उपायों का प्रावधान है।

- हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत सरकारी देयताओं की वसूली किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं जैसे कि चूककर्ता पर रिट मांग सेवा, कैद एवं कारावास, चल सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री, परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा जब्ती अथवा धारण तथा चूककर्ता की चल सम्पत्ति के प्रति कार्रवाइयां, को अपनाकर प्रभावित की जा सकती हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर अधिनियमों के अंतर्गत कर निर्धारण/ संवीक्षा हेतु अधिसूचना जारी करने, बकाया की वसूली के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं की पूर्णता तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम/ नियमों के अंतर्गत वसूली प्रक्रियाओं को पूर्ण तथा प्रारम्भ करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। विभागाध्यक्ष ने ऐसी कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की थी।

2.3.17 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

एक संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध इसकी कार्यप्रणाली के अनुश्रवण के लिए एक महत्वपूर्ण स्कंध है। यह प्रबंधन को, जहां कहीं आवश्यक हो, यह सुनिश्चित करने कि प्रणालियां तार्किक रूप से कार्य कर रहीं हैं तथा बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है, के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में मददगार है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा गठित की गई है जिससे विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करना अपेक्षित है।

आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत आवृत अवधि के दौरान बकाया से सम्बंधित अभिलेखों की जांच नहीं की थी।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि स्टॉफ की कमी के कारण इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की जा सकी थी।

2.3.18 निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर/ हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर / हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व/ राजस्व वसूली अधिनियम के अंतर्गत दिये गए बकाया के विस्तृत डाटाबेस तैयार करने की प्रणाली, इसके नियमित अनुश्रवण तथा अपनाए गए विभिन्न उपायों में कमियां थी। बकाया भू-राजस्व के अंतर्गत बकाया के मामलों का उचित अनुशीलन नहीं हुआ था, व्यापारियों की सम्पत्तियां कुर्क नहीं की गई थीं। बकाया की वसूली की विभिन्न प्रक्रियाओं की समाप्ति के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने संवीक्षा की अवधि के दौरान बकाया मामलों की लेखापरीक्षा नहीं की थी।

2.3.19 सिफारिशें

सरकार को निम्नवत पर विचार करना चाहिए:

- (i) बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के बकाया के डाटाबेस के सृजन एवं अद्यतन के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली का सृजन, इसका नियमित अनुशीलन, अपील मामलों का त्वरित निपटान;
- (ii) (i) बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर अधिनियम (ii) हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम तथा (iii) राजस्व वसूली अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया की पूर्णता के लिए समय सीमा निर्धारण; और
- (iii) कर निर्धारण में त्रुटियों की समय पर पहचान एवं सुधार, बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर राजस्व का उद्ग्रहण एवं संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा संबंध को सबल बनाना।

अन्य लेखापरीक्षा प्रेक्षण

2.4 कुल बिक्री का गलत निर्धारण

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 2(v) (iv) के अनुसार बिक्री में रोकड़ के लिए किसी उद्देश्यार्थ किसी माल के प्रयोग के लिए अधिकार हस्तांतरण, स्थिगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल समाविष्ट हैं। उपरोक्त अधिनियम की धारा 19 में आगे प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि को देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह एक महीने की अवधि के लिए देय कर एक प्रतिशत की दर पर तथा उसके बाद जब तक चूक जारी रहती है प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज के भुगतान करने का दायी हो जाता है।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य सात कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁶ के कर निर्धारण अभिलेखों में पाया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने जुलाई 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य वर्ष 2005-06 से 2010-11 के लिए 11 व्यापारियों के कर निर्धारण को अंतिम रूप दिया था तथा ₹223.73 करोड़ के प्रति ₹182.36 करोड़ पर सकल बिक्री अथवा कर योग्य बिक्री का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा संबीक्षा में आगे पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने किसी भी सकल प्राप्तियों/ प्रमाणित प्राप्तियों की तुलना में कर निर्धारकों द्वारा कुल बिक्री का न्यून निर्धारण अथवा निम्नतर निर्धारण की ओर पर संज्ञान नहीं लिया था। अतः ₹41.37 करोड़ की सकल कुल बिक्री/ कर योग्य कुल बिक्री के अल्प कर निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹4.25 करोड़²⁷ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹3.74 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

लेखापरीक्षा ने जनवरी तथा मई 2014 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया था। विभाग ने बताया कि पांच मामलों में ₹18.82 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी जिसमें से तीन मामलों में ₹4.35 लाख वसूल किये गए थे। शेष मामले सम्बंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के विचाराधीन थे (दिसम्बर 2014)।

2.4.2 लेखापरीक्षा ने दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁸ के दो विक्रेताओं के व्यवसायिक खातों में पाया (नवम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) कि उन्होंने 2005-06 से 2009-10 की कर अवधि के लिए माल/ मशीनरी के किराया प्रभारों के आधार पर ₹4.45 करोड़ प्राप्त किये थे। तथापि, व्यापारियों ने अपनी विवरणियों में माल/ किराया प्रभारों की राशि शामिल नहीं की थी और इसलिए इस पर कर भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य इन व्यापारियों के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय गलती की पहचान नहीं की थी यद्यपि ऐसी प्राप्तियां व्यापारिक खातों में उपलब्ध थी। इसके परिणामस्वरूप ₹17.81 लाख के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹18.00 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

लेखापरीक्षा ने जनवरी तथा मई 2014 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

²⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त- बी.बी.एन.-बद्री, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन तथा सोलन

²⁷ बी.बी.एन.-बद्री: चार व्यापारी: ₹34.60 लाख, हमीरपुर: एक व्यापारी: ₹23.01 लाख, कुल्लू: एक व्यापारी: ₹1.91 लाख, मण्डी: एक व्यापारी: ₹0.15 लाख, शिमला: एक व्यापारी: ₹6.57 करोड़, सिरमौर स्थित नाहन: एक व्यापारी: ₹29.70 लाख तथा सोलन: दो व्यापारी: ₹52.48 लाख ब्याज सहित

²⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त-हमीरपुर: एक व्यापारी: ₹4.41 लाख तथा मण्डी: एक व्यापारी: ₹31.40 लाख

2.5 कर की गलत दर लागू करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार धारा 6 के अंतर्गत अनुसूची-क के अनुसार एक व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों पर कर उद्ग्राहय है। अनुसूची-क में यह भी प्रावधान है कि उसमें उल्लिखित वस्तुओं के संदर्भ में बिक्री की प्रत्येक अवस्था पर निर्धारित दरों पर कर उद्ग्रहण किया जाएगा। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 में यह भी प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास तक देय कर पर एक प्रतिशत की दर से तथा इसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर कर की अदायगी करने का दायी होगा।

लेखापरीक्षा ने जून तथा अक्टूबर 2013 के मध्य तीन कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁹ के अभिलेखों में पाया कि 11 व्यापारियों ने वर्ष 2006-07 तथा 2012-13 के दौरान ₹91.37 करोड़ के मूल्य की अन्तर्राज्य बिक्रियां की थीं जो 12.50 अथवा 13.75 प्रतिशत की दर पर कर योग्य थीं। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने फरवरी 2012 तथा जनवरी 2013 के मध्य कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय 12.50 अथवा 13.75 प्रतिशत की सही दरों की बजाए चार अथवा पांच प्रतिशत की दर पर बिक्री निर्धारण किया था। इन चूकों के परिणामस्वरूप ₹7.00 करोड़ के कर की अल्प उगाही हुई, इसके अतिरिक्त ₹4.96 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने अगस्त तथा नवम्बर 2013 के मध्य सूचित किया कि चार मामलों में ₹1.01 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित एवं वसूल की गई तथा शेष मामले सम्बंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों के विचाराधीन थे (दिसम्बर 2014)।

2.6 श्रम प्रभारों/ सामग्री की लागत का गलत अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम 69 (2) में प्रावधान है कि जहां श्रम प्रभार संविदाकारों के कार्यों के लेखा से निर्धारण योग्य नहीं हैं अथवा संविदा की प्रकृति के प्रतिफल में अतार्किक रूप से उच्च समझे जाते हैं तो पूर्वोक्त नियमों की तालिका के कॉलम (2) में निर्धारित संविदा के प्रकार के लिए कॉलम (3) में निर्धारित सीमाओं के अनुसार कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा श्रम प्रभारों के लिए कटौतियों का अनुमोदन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की उप धारा 2(v) के अनुसार बिक्री में संविदा कार्यों के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में सम्पत्ति का हस्तांतरण अंतर्विष्ट है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त के दिसम्बर 2008 के अनुदेशों के अनुसार यदि संविदादाता द्वारा सामग्री की पूर्ति आंशिक अथवा पूर्ण रूप से की जाती है तथा उसके मूल्य को संविदाकारों की अदायगी के प्रति संतुलित किया जाता है तो कर के निर्धारणार्थ इस प्रकार आपूरित की गई सामग्री के मूल्य की सकल बिक्री से कटौती नहीं की जाएगी जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दो मामलों³⁰ में ठीक भी ठहराया गया है।

²⁹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला (एक व्यापारी: ₹2.04 लाख), सिरमौर स्थित नाहन (पांच व्यापारी: ₹33.10 लाख) तथा सोलन (पांच व्यापारी: ₹11.61 करोड़)

³⁰ एन०एम० गोयल एण्ड कम्पनी बनाम बिक्री कर अधिकारी राजनंद गांव तथा दूसरा (1988) 72 एस०टी०सी० एस०सी० 368 तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० बनाम अंधप्रदेश राज्य (1998) 109 एस०टी०सी० एस०सी० 425

लेखापरीक्षा ने चार कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³¹ के कर निर्धारण अभिलेखों में पाया (अगस्त 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 2005-06 से 2011-12 की अवधि के लिए अगस्त 2011 तथा मार्च 2013 के मध्य आठ व्यापारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय स्वीकार्य ₹23.83 करोड़ की कटौती के बजाए व्यापारी द्वारा दावा किये गए श्रम प्रभारों के आधार पर सकल कुल बिक्री से ₹40.70 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सम्बंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों ने न तो व्यापारियों से श्रम लेखा प्राप्त किया और न ही व्यापारियों ने इसे प्रस्तुत किया था। अतः श्रम प्रभारों के आधार पर ₹16.88 करोड़ के आधिक्य अनुमोदन के परिणामस्वरूप ₹2.05 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹2.39 करोड़ का ब्याज भी उद्घारण था।

(ii) जुलाई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य तीन कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³² के कर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल तथा दिसम्बर 2012 के मध्य कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 2005-06 से 2010-11 वर्षों के लिए तीन संविदाकारों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कार्यों के निष्पादन के लिए विभागों द्वारा आपूरित सामग्री के आधार पर सकल कुल बिक्री से उन्हें ₹1.34 करोड़ की कटौती करने की अनुमति दी। इस तरह से अनुमत्य कटौती अनियमित थी क्योंकि विभागों द्वारा संविदाकारों को सामग्री की आपूर्ति बिक्री के समकक्ष थी। इसके परिणामस्वरूप ₹6.65 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹7.48 लाख का ब्याज भी उद्घारण था।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य), सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने बताया सम्बंधित व्यापारियों को अधिसूचना जारी कर दी जाएंगी तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनयम, 2005 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अक्टूबर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

2.7 कर की रियायती दर का गलत अनुमोदन

आबकारी तथा कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक जुलाई 1999 तथा जून 2009 की अधिसूचनाओं के द्वारा उन व्यापारियों को जो हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां चला रहे थे तथा वे इकाइयां हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी तथा कराधान विभाग के पास पंजीकृत थीं को अंतर्राज्यीय बिक्री/ व्यापार के लिए विनिर्मित वस्तुओं की कर योग्य बिक्री पर एक प्रतिशत पर केन्द्रीय बिक्री कर की रियायती दर अनुमत थी। रियायती दर प्राप्त करने के लिए अन्य शर्तों के साथ एक शर्त यह भी थी कि औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थित इकाई में कुल श्रम शक्ति का 80 प्रतिशत हिमाचल के मूल निवासियों में से नियोजित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मार्च 2005 की अधिसूचना द्वारा औद्योगिक रूप से विकासशील क्षेत्रों के लिए हिमाचल के मूल निवासियों की श्रम शक्ति प्रतिशतता 70 प्रतिशत है।

³¹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बद्री (दो व्यापारी: ₹19.00 लाख), कुल्लू (दो व्यापारी: ₹177.83 लाख), मण्डी तीन व्यापारी: ₹5.93 लाख) तथा शिमला (एक व्यापारी: ₹2.02 लाख)

³² सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला: एक संविदाकार: ₹2.88 लाख, सिरमौर स्थित नाहन: एक संविदाकार: ₹2.82 लाख तथा ऊना: एक संविदाकार: ₹8.43 लाख

लेखापरीक्षा ने दो कार्यालय सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों³³ के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि (दिसम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) कि 2005-06 से 2009-10 के वर्षों के लिए सात विभिन्न विनिर्माण इकाइयों के कर निर्धारणों को कर निर्धारण प्राधिकारियों ने (जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) अंतिम रूप दिया तथा ₹108.02 करोड़ की अंतरराज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत की रियायती दर लागू की। तथापि, इन इकाइयों ने औद्योगिक रूप से विकासशील तथा पिछड़े इलाकों में स्थित अपनी औद्योगिक इकाइयों में अनिवार्य 70 तथा 80 प्रतिशत के प्रति 51 से 69 तथा 70 से 78 प्रतिशत के मध्य मूल हिमाचल वासियों को रोजगार दिया था। इस प्रकार पूर्वोक्त शर्त को पूरी किए बिना इन इकाइयों को दो से चार प्रतिशत की लागू होने वाली दरों के बजाय एक प्रतिशत की रियायती दर की अनुमति अनियमित थी, जिसके फलस्वरूप ₹1.45 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹1.20 करोड़ का व्याज भी उद्ग्रहण था।

लेखापरीक्षा ने मार्च तथा मई 2014 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

2.8 अवैध, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों को स्वीकार करने के कारण कर अपवंचन

अवैध, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण/ दुरुपयोग-प्रपत्र-'सी' तथा 'एफ'

2.8.1 प्रपत्र-'सी'

प्रपत्र 'सी' एक क्रेता व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में जारी किया जाता है। 'मूल' चिन्हित की गई प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने विवरण के साथ सलांगन की जाती है तथा 'डुप्लीकेट' प्रति क्रेता व्यापारी द्वारा अपने अभिलेख में रख ली जाती है। न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित³⁴ किया गया है कि कर की रियायती दर का दावा करने के लिए प्रपत्र 'सी' की मूल प्रति कर के भुगतान से बचने की जालसाजी तथा ठगी करने के लिए प्रपत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6-क के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर (आर एण्ड टी) नियमावली, 1957 के नियम 12 (5) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यापारी को कर में छूट शाखा स्थानांतरण/ बिक्री प्रेषण की स्थिति में दी जाती है कि यदि ये घोषणा प्रपत्र-'एफ' द्वारा समर्थित हों। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बिक्री कर (आर एण्ड टी) नियमावली के नियम 12 (3) के अनुसार एक प्रपत्र 'एफ' को केवल एक केलैन्डर मास के लेनदेनों को आवृत करना है। इसके अतिरिक्त जब तक चूक जारी रहती है कर का भुगतान नहीं की गई राशि पर भी व्याज निर्धारित दरों पर उद्ग्रहण योग्य है।

पांच कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁵ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) में पाया कि 2006-07 से 2010-11 की कर अवधियों

³³ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त- बी.बी.एन.-बद्री: चार व्यापारी: ₹0.86 करोड़ तथा ऊना; तीन व्यापारी: ₹1.78 करोड़

³⁴ आयुक्त बिक्री कर बनाम मैसर्ज प्रभु दयाल प्रेम नारायण (1988) 71 एस टी सी (एस सी) तथा दिल्ली ऑटोमोबाइल प्रार्लिं बनाम आयुक्त बिक्री कर (1997) 104 एस टी सी 75 (एस सी)

³⁵ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त- बी.बी.एन. - बद्री (चार व्यापारी: ₹44.80 लाख), कुल्लू (एक व्यापारी: ₹1.90 लाख), मण्डी (एक व्यापारी: ₹1.36 लाख), सोलन (एक व्यापारी: ₹17.08 लाख) तथा ऊना (एक व्यापारी: ₹1.94 लाख)

के लिए मार्च 2011 तथा जून 2013 के मध्य आठ व्यापारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारियों ने लेनेदेनों के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा प्रपत्रों जो या तो डुप्लीकेट/ अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण प्रतियां थीं या परिशिष्ट-V में वर्णित 'सी' प्रपत्रों का दुरूपयोग था, के सत्यापन के बिना ₹4.23 करोड़ के मूल्य की अंतर्राज्यीय बिक्री पर अनियमित रियायती कर की अनुमति दे दी। ये प्रपत्र सम्बंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण के समय नकार दिये जाने थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिससे ₹35.61 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹31.47 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहाय था।

2.8.2 प्रपत्र-'एफ'

दिसम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁶ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2006-07 से 2007-08 कर निर्धारण वर्षों के लिए मार्च 2012 तथा मई 2013 के मध्य दो व्यापारियों के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारियों ने घोषणा प्रपत्र 'एफ' जो डुप्लीकेट प्रति अथवा एक केलैण्डर मास से अधिक के लेनदेनों को आवृत करते थे, के प्रति ₹1.19 करोड़ की स्टॉक राशि के हस्तांतरण पर ₹18.38 लाख के कर की छूट की अनुमति दे दी। प्रपत्र कर निर्धारण के समय नकार दिये जाने थे किन्तु सम्बंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों ने इन प्रपत्रों की उचित तरीके से संवीक्षा नहीं की थी तथा छूट दे दी। इसके परिणामस्वरूप ₹8.69 लाख के कर का अनुद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹9.69 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहाय था (परिशिष्ट-VI)।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2013 तथा मई 2014 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

2.9 निवेश कर क्रेडिट की अनुमति

2.9.1 निवेश कर क्रेडिट की अनियमित अनुमति

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 11 (3) के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यापारी से क्रेता व्यापारी द्वारा राज्य में खरीदी गई कर योग्य वस्तुओं पर अदा किए गए निवेश कर की राशि की सीमा तक निवेश कर क्रेडिट अनुमति किया जाएगा। मई 2007 की अधिसूचना के अनुसार, एक व्यापारी से टैक्स अवधि के दौरान उसके द्वारा विक्रय की गई वस्तुओं के खरीद मूल्य पर निवेशकर क्रेडिट राशि स्वीकार्य होगी। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास की अवधि तक देय कर पर एक प्रतिशत की दर पर और उसके उपरांत चूक जारी रहने तक प्रति मास डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज की अदायगी करने हेतु दायी हो जाता है।

छ: कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁷ की जून 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य की गई अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2007-08 तथा 2011-12 की अवधियों में 50 व्यापारियों की वार्षिक विवरणियों का निर्धारण करते समय कर निर्धारण प्राधिकारियों ने विभिन्न

³⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बद्री (दो व्यापारी: ₹12.42 लाख) तथा ऊना (एक व्यापारी: ₹5.96 लाख)

³⁷ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बद्री (एक व्यापारी: ₹2.34 लाख), हमीरपुर (12 व्यापारी: ₹33.96 लाख), मण्डी (10 व्यापारी: ₹125.25 लाख), शिमला (5 व्यापारी: ₹25.24 लाख), सोलन (11 व्यापारी: ₹40.16 लाख), तथा ऊना (11 व्यापारी: ₹27.53 लाख)

विधियां अपनाते हुए निवेश कर क्रेडिट अनुमति किया। तथापि, कुल खरीदों के प्रति स्थानीय खरीदों के अनुपात के आधार पर उन वर्षों के दौरान जिन पर कोई निवेश कर क्रेडिट अनुमति नहीं था, राज्य में पंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीदों में से कर अवधियों के दौरान इन व्यापारियों के कुल अंत स्टॉक ₹29.56 करोड़ था। निर्धारण प्राधिकारियों ने अंत स्टॉक पर ₹1.56 करोड़ का निवेश कर क्रेडिट अनुमति करते समय उस सीमा तक कर निर्धारकों की कर देयता को भी आस्थगित कर दिया था, जो कि अन्यथा निर्धारण की तिथि को कर अवधियों के संदर्भ में वसूल किया जाना अपेक्षित था। इसके फलस्वरूप ₹1.57 करोड़ की राशि के निवेश कर क्रेडिट की अनियमित स्वीकृति हुई, इसके अतिरिक्त ₹98.06 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

2.9.2 शाखा हस्तांतरण/ प्रेषित माल पर निवेश कर क्रेडिट की गलत अनुमति

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 11 (4) (क) में प्रावधान है कि उपधारा (3) में यद्यपि कुछ भी निहित है निवेश कर क्रेडिट की केवल उस सीमा तक अनुमति दी जाएगी। जिसके द्वारा राज्य में अदा की गई निवेश कर की राशि बिक्री के तौर पर अंतर्राज्यीय व्यापार की तुलना में राज्य से बाहर भेजी गई वस्तुओं की खरीद पर चार प्रतिशत बढ़ी है।

जून 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, बी.बी.एन.-बद्दी तथा सोलन के कर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 2010-11 की कर अवधि के लिये तीन व्यापारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय स्टॉक हस्तांतरण पर निवेश कर क्रेडिट का निषेध नहीं किया था जैसाकि पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है। इसके परिणामस्वरूप ₹25.53 लाख के राजस्व का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹13.27 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

अन्य मामले में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त तथा अक्टूबर 2013 के मध्य) में पाया कि एक व्यापारी ने 2007-08 से 2009-10 की कर अवधि के लिए ₹9.31 लाख के निवेश कर क्रेडिट का दावा किया था जबकि उसने अपने साथी व्यापारी से वस्तुएं अधिकतम खुदरा मूल्य पर विशेषाधिकारी के रूप में बिक्री के लिए प्रेषित माल के आधार पर प्राप्त की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे पाया गया कि प्रथम स्तर पर मूल्य वर्धित कर वसूल किया गया था तथा निवेश कर क्रेडिट के दावे का हक उनके करार के आधार पर प्रथम पार्टी के पास निहित था। कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय इसका निषेध नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹5.06 लाख तक निवेश कर क्रेडिट का गलत अनुमोदन हुआ, इसके अतिरिक्त ₹4.25 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने ₹0.34 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की, तथापि, वसूली अभी की जानी है (दिसम्बर 2014)।

2.9.3 कर बीजकों के बिना निवेश कर क्रेडिट अनुमति करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 11(7)(के) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 20 तथा 25 में यह प्रावधान है कि पंजीकृत व्यापारी के पास कर बीजक उपलब्ध न हो तो वहां निवेश कर क्रेडिट अनुमति नहीं किया जाएगा। कर निर्धारण प्राधिकारी लेनदेन की प्रति-जांच करेगा तथा लेनदेन की वास्तविकता के संदर्भ में संतुष्ट हो जाने पर इस संदर्भ में आदेश जारी करके दावा अनुमति करेगा।

जून तथा जुलाई 2013 के मध्य कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि एक मामले में कर निर्धारण प्राधिकारी ने ₹2.32 करोड़ की स्थानीय खरीद पर 2007-08 की कर अवधि के लिए ₹9.27 लाख का निवेश कर क्रेडिट व्यापारी को बिना कर बीजकों के अनुमत किया (मार्च 2011)। कर निर्धारण प्राधिकारी ने विवरणियों की उचित जांच नहीं की थी जिनमें खरीद बिना कर बीजकों के दर्शायी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹9.27 लाख का निवेश कर क्रेडिट अनियमित रूप से अनुमत था तथा ₹9.82 लाख का ब्याज उद्ग्रहीत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹18.53 लाख की शास्ति भी उद्ग्रहण योग्य थी।

2.9.4 गलत परिकलन पर निवेश कर क्रेडिट की आधिक्य अनुमति

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 जिसमें अन्य विषयों में संशोधन किये गए हैं की धारा 16(8) में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी ने अपनी बिक्री, खरीद अथवा वस्तुओं के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखों का अनुरक्षण कर लिया है अथवा अपनी बिक्री या खरीद के किन्हीं विवरणों को छिपाया है अथवा इस अधिनियम अथवा किसी लेखा, विवरणी या सूचना जो किसी वास्तविक विवरण में झूठी या गलत है, के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है तो आयुक्त अथवा धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उसे सहयोग देने के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यापारी को सुनवाई का एक तर्किक अवसर उपलब्ध करवाने के बाद उसे कर, एक राशि जो निर्धारित कर की राशि के दोगुना के बराबर होगी, से युक्त शास्ति के माध्यम से भुगतान का निदेश दें जिसका उसे निर्धारण करना है अथवा निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।

चार कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁸ की जून 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया कि 14 व्यापारियों ने 2007-08 तथा 2010-11 की कर अवधि के लिए अपनी विवरणियों में कर के गलत परिकलन द्वारा ₹6.75 लाख के निवेश कर क्रेडिट आधिक्य का दावा किया था। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने इन विवरणियों का निर्धारण (मई 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य) करते समय इस पहलु को नहीं देखा तथा व्यापारियों द्वारा किये गए दावे के अनुसार निवेश कर क्रेडिट अनुमत कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹6.74 लाख की राजस्व हानि हुई तथा ₹3.63 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहीत नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, कर की राशि के दोगुना के बराबर की शास्ति की राशि भी उद्ग्रहण योग्य थी।

उपरोक्त चूकों को विभाग तथा सरकार को अगस्त 2013 तथा मई 2014 के मध्य प्रतिवेदित कर दिया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

³⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बद्री (एक व्यापारी: ₹1.53 लाख), मण्डी (दो व्यापारी: ₹3.03 लाख), शिमला (नौ व्यापारी: ₹4.08 लाख) तथा सोलन (दो व्यापारी: ₹1.73 लाख)